



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./32/2021-889

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ।

पटना-14, दिनांक-11/10/2022

विषय : मधेपुरा जिलान्तर्गत बी०पी० मंडल चौक—मधेपुरा—वेस्टर्न बाईपास (पुराना NH-107) एवं कॉलेज चौक—जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NH-107) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1725 हे० वन भूमि का “मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०, पटना” के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 1148 दिनांक 28.12.2021 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन द्वारा निर्गत Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन अद्यतन अप्राप्त है। Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराया जाय—

वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.11.2014 एवं दिनांक 27.07.2020 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 दिनांक 19.12.2018 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 1003 (ई०) दिनांक 20.12.2021 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मधेपुरा जिलान्तर्गत बी०पी० मंडल चौक—मधेपुरा—वेस्टर्न बाईपास (पुराना NH-107) एवं कॉलेज चौक—जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (NH-107) पथों के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.1725 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा NPV मद की दर संशोधित किया गया है। तदआलोक में अपयोजित होने वाली 0.1725 हे० वन भूमि के लिए 9.57780 लाख रु० प्रति हे० की दर पर कुल रु० 1,65,217/- की 50% राशि रु० 82,609/- (रुपये बैरासी हजार छः सौ नौ) मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध करायेगी।

- (iii) NPV मद की कुल राशि रु० 82,609/— (रुपये बैरासी हजार छः सौ नौ) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराया जायेगा।
- (iv) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।
- (v) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (vii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (viii) भूमि की सतह से पाईपलाइन 1.5 मीटर नीचे बिछाई जायेगी। पाईपलाइन बिछाने के बाद भूमि को समतल किया जायेगा।
- (ix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर यथासंभव तकनीकी रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा से परामर्श प्राप्त कर उनके निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास यथा संभव उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराएगी।
- (x) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (xi) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (xii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।
- (xiii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xiv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xv) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xvi) उपभोक्ता अभिकरण [मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश Laying of underground CNG and PNG पाईप लाईन के लिये सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश अथवा Working permission निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

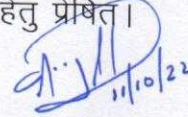
ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-व.सं./32/2021-889 दिनांक 11/10/2022

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल सहरसा/मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।